

फर्द अहकाम

दिनांक

7/10/25 पत्रावली पेश हुई। वक्तुलप
 फरीबत उप०/ पत्रावली वाले साक्ष्यवादी
 500) में कोर्ट पर दानिम प्रोग दिना
 जाकर पत्रावली दि० 13/10/25 को पेश हो

13/10 पत्रावली पेश हुई। पीएससी अधिकारी
 राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार
 दिनांक 18/10/25 को पेश है।

16/25 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज
 दिवाने पर भी जारी तबं उनके अधिकार
 उप. नहीं हुए अतः मु. नं. 180/2019
 उमवान रामखिलाडी बमराम भगवानसिंह
 दावा वावत स्याई निवेद्याना अरम पैरवी
 अरम हाजिरी में खारिज किया जाता
 है। पत्रावली फैसल सुमार होमड वाड
 तकमिल नं. से कम की जाऊड दाखिल
 रखर हो। आदेश खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।